क्रम-संख्या–209

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 जून, 2026

ज्येष्ठ 21, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2

———————

संख्या 1261/81-2–2026-29(04)-2026
लखनऊ, 11 जून, 2026

———————

अधिसूचना

प0आ0–417

चूंकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिय प्रस्तावित की गयी है;

और, चूंकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का वंचन नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
मीरजापुर	लालगंज	कंतित	कुशियरा	44 च	8.3581	**उत्तर**–गाटा संख्या 44 का शेष भाग (वन भूमि) **पूरब**–गाटा संख्या 44 का शेष भाग (वन भूमि) **दक्षिण**–गाटा संख्या 44 का शेष भाग **पश्चिम**–गाटा संख्या 44 का शेष भाग
				1 किता	**8.3581**	

आज्ञा से,
वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1261/LXXXI-2–2026-29(04)-2026, dated June 11, 2026:

No. 1261/LXXXI-2–2026-29(04)-2026

Dated Lucknow, June 11, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Khasra No.	Area (in hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
Mirzapur	Lalganj	Kantit	Kushiyara	44 ch	8.3581	**North**-Remaining Part of Gata No.44 (Forest land) **East-** Remaining Part of Gata No.44 (Forest land) **South-** Remaining Part of Gata No.44 **West-** Remaining Part of Gata No.44
				1 Kita	**8.3581**	

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 343 राजपत्र–2026–(776)–599+25=624 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।